भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

सत्यमेव जयते

वार्षिक लेखा

2018-19

www.ibbi.gov.in

सत्यमेव जयते

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

वार्षिक लेखा
2018–19

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7 वॉ तल,मयूर भवन,शंकर मार्केट,कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
टेलीफोन + 9111–23462900
वैबसाइट : आई बी बी आई .जी औ वी .ईन

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	3
2.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	4-6
3.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	7
4.	तुलन पत्र	8
5.	आय एवं व्यय लेखा	9
6.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	10
7.	तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियां	11-18
8.	आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियां	19-23
9.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24-25
10.	अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	26-36
11.	लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन	37-38

प्रस्तावना

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के अनुसार 1 अक्टूबर, 2016 को की गई थी । यह संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी अर्थतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है जो कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों को समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के अधिकतम मूल्य के लिए समेकित और संशोधित करने, उद्यमता, उधार की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन का संवर्धन करता है ।

बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं पर विनियमनकारी निगरानी रखता है । यह संहिता के अधीन प्रक्रियाओं, अर्थात्, कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट समापन, वैयक्तिक दिवाला समाधान और वैयक्तिक शोधन अक्षमता के लिए नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है । उसका कार्य संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं और अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और पद्धतियों का विकास करना और उन्हें विनियमित करना है । इसे देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम), 2017 के अधीन 'प्राधिकारी' के रूप में पदांकित किया गया है ।

संहिता की धारा 223(1) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा । तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 तैयार किए ।

संहिता की धारा 223(2) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है तथा पत्र सं. जी.ए./आई.ए./एन.आर./93/2018-19/596, दिनांक 8 नवम्बर, 2019 द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की है ।

इस रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा-प्रमाणित बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा और उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है । इसे संहिता की धारा 223(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है ।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) के 31 मार्च, 2019 को यथा-विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 223(2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन लेखापरीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करना आई.बी.बी.आई. के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखा पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं । विधियों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक् रूप से प्रतिवेदित किया जाता है ।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है । इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों में दर्शायी राशि और प्रकटनों का समर्थन करते हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है ।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि:

i हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

ii इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय/प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 के अधीन अनुमोदित लेखा प्ररूप में तैयार किए गए हैं;

iii हमारी राय में, आई.बी.बी.आई द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 223(1) के तहत यथापेक्षित समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रकट होता है ।

iv हम इसके अतिरिक्त यह सूचित करते हैं कि:

क. आय और व्यय लेखा

आय

अर्जित ब्याज (अनुसूची XVI)- 68.37 लाख रुपए

उपरोक्त के अंतर्गत वर्ष के दौरान सहायता अनुदानों पर अर्जित ब्याज 39.84 लाख रुपए शामिल हैं । तथापि, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, किसी अनुदानग्राही संस्था को सहायता अनुदानों या अग्रिमों (प्रतिपूर्ति से भिन्न) से प्राप्त सभी ब्याज या अन्य उपार्जन लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत पश्चात् अनिवार्य रूप से भारत की समेकित निधि में प्रेषित करना चाहिए ।

इस प्रकार, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अननुपालन के परिणामस्वरूप 39.84 लाख रुपए तक की आय अधिक दर्शाई गई है और वर्तमान दायित्व इतनी मात्रा में कम दर्शाए गए हैं और फलस्वरूप उसी सीमा तक अधिशेष अधिक दर्शाया गया है ।

ख. अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां (अनुसूची XXIII)

पूंजीगत प्रतिबद्धता

उपरोक्त के अंतर्गत आई.बी.बी.आई. के लिए वैब-पोर्टल के डिज़ाइन और विकास के लिए एन.आई.सी.एस.आई. को 61.44 लाख रुपए के बकाया भुगतान मंद्धे पूंजी प्रतिबद्धता राशि शामिल नहीं है । आई.बी.बी.आई. ने करार के अनुसार 25 प्रतिशत राशि 20.48 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान जारी किया है और बकाया राशि तीन किस्तो में दी जानी थी । चूंकि 61.44 लाख रुपए का बकाया भुगतान 31 मार्च, 2019 तक नहीं किया गया है इसलिए इसे पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के अधीन दर्शाया जाना चाहिए था । इस प्रकार, इसके अननुपालन के कारण पूंजीगत प्रतिबद्धता नोट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है ।

ग. सहायता अनुदान

आई.बी.बी.आई. द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त और उपभोग में लाए गए सहायता अनुदान और 31 मार्च, 2019 को यथा-विद्यमान सहायता अनुदानों के खर्च न किए गए अतिशेष की तथ्यात्मक स्थिति निम्नलिखित रूप में है :–

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त अनुदान	संचयी शेष	उपयोग में लाए गए अनुदान	खर्च न किया गया अतिशेष
अनुदान सहायता (सामान्य)	-	1107.00	1107.00	1107.00	-
अनुदान सहायता (वेतन)	-	963.18	963.18	963.18*	-
अनुदान सहायता (पूंजी) - आई.टी. से संबंधित	77.00	-	77.00	-	77.00
अनुदान सहायता (पूंजी) - मयुर भवन परिसर कार्य	46.54	-	46.54	-	46.54
कुल	123.54	2070.18	2193.72	2070.18	123.54

(प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार डाटा)

*इसके अंतर्गत अनुदान सहायता (सामान्य) शीर्ष के अधीन उपगत 14.90 लाख रुपए का वह व्यय भी है जिसके लिए नियमितीकरण की निवेदना की गई है ।

v हम, पूर्ववर्ती पैराओं में किए गए अपने प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

vi हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियां लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पढ़ने पर और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं -

क. जहां तक उनका संबंध भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के 31 मार्च, 2019 तक के तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख. जहां तक उनका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष संबंधी आय और व्यय लेखा से है ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर

(प्राची पाण्डेय)
व्यावसायिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-I
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 08.11.2019

वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आई.बी.बी.आई. में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा खंड नहीं है । वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा बाहरी एजेंसी द्वारा कराई गई थी ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आई.बी.बी.आई. में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संगठन के आकार के अनुरूप है ।

3. स्थिर आस्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति

आई.बी.बी.आई. में वर्ष 2018-19 के दौरान स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

4. वस्तु-सूची के भौतिक सत्यापन की पद्धति

आई.बी.बी.आई की बहियों में 31 मार्च, 2019 को यथा-विद्यमान कोई वस्तु-सूची नहीं है ।

5. कानूनी देयों का भुगतान करने में नियमितता

आई.बी.बी.आई. कानूनी देयों का भुगतान साधारणतया नियमित रुप से करता है ।

प्ररूप-'क'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च 2019 तक तुलनपत्र

(राशि रुपये में)

निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
निधि	I	7,88,46,898	2,55,65,051
आरक्षितियां और अधिशेष	II	-	-
चिह्नित और अक्षय निधियां	III	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	IV	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	V	-	-
आस्थगित प्रत्यय दायित्व	VI	3,20,000	37,500
वर्तमान दायित्व और उपबंध	VII	6,44,34,285	3,88,15,404
कुल		**14,36,01,183**	**6,44,17,955**
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	VIII	1,25,78,262	1,11,91,205
निवेश –चिह्नित/अक्षय निधियों से	IX	-	-
निवेश – अन्य	X	1,55,16,476	83,34,345
वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	XI	11,55,06,445	4,48,92,405
विविध व्यय (समाप्त या समायोजित होने तक)	-	-	-
कुल		**14,36,01,183**	**6,44,17,955**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0
डॉ नवरंग सैनी
पूर्णकालिक सदस्य,
(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
डॉ एम. एस. साहू
अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी आय एवं व्यय खाता

(राशि रुपये में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुदान/सहायता राशि	XII	18,76,91,497	10,15,51,546
शुल्क/अंशदान	XIII	5,23,13,329	3,25,70,442
निवेश से आय (निधियों में अंतरित किए गए चिह्नित/अक्षय निधियों में निवेश से प्राप्त आय)	XIV	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	XV	-	-
अर्जित ब्याज	XVI	68,36,863	4,48,413
अन्य आय	XVII	17,112	22,100
कुल (क)		**24,68,58,801**	**13,45,92,501**
व्यय			
स्थापना व्यय	XVIII	9,48,26,901	5,93,59,996
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	XIX	11,40,46,966	7,34,51,776
अनुदान/सहायता राशि आदि संबंधी व्यय	XX	-	-
ब्याज	XXI	-	-
अवमूल्यन (अनुसूची VIII से संबंधित वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल योग)	XXII	40,29,590	17,74,372
कुल (ख)		**21,29,03,457**	**13,45,86,144**
व्यय से अधिक की आय का शेष (क-ख) विशेष आरक्षिति में अंतरण सामान्य आरक्षिति में/से अंतरण		3,39,55,344	6,357
समूह/पूंजी निधि में अंतरित किए गए अधिशेष (कमी)		**3,39,55,344**	**6,357**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
अनिश्चित देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0
डॉ नवरंग सैनी
पूर्णकालिक सदस्य,
(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
डॉ एम. एस. साहू
अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

प्ररूप 'ग'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
खाता खुलने के समय अतिशेष			I. व्यय		
(क) नकदी	49,620	35,104	क) स्थापना व्यय (अनुसूची XVIII से संबंधित)	7,14,52,287	3,43,82,510
(ख) बैंक में अतिशेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची XIX से संबंधित)	10,09,32,080	5,90,18,376
(i) चालू खाते में	3,88,38,258	6,53,58,414	ग) इनपुट(निवेश) जी.एस.टी.	97,05,015	23,53,459
(ii) जमा खाते में	-	-			
(iii) बचत खाते में	-	-			
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं की निधि के लिए किए गए भुगतान (निधि या परियोजना का नाम, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान ब्यौरे सहित दर्शाया जाना चाहिए)		
(क) भारत सरकार से	20,70,18,000	6,33,00,000			
(ख) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे) (पूंजी और राजस्व व्यय के अनुदान को पृथक् रूप से दर्शाया जाएगा)	-	-			
III. निवेश प्ररूप संबंधी आय			III. निम्नलिखित में से किए गए निवेश और जमा		
(क) चिह्नित/अक्षय निधियां			क) चिह्नित/अक्षय निधियों में से	-	-
(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश-अन्य)	-	-	(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियों में से (निवेश-अन्य) से	75,72,000	61,31,000
IV.प्राप्त ब्याज			IV. स्थिर आस्तियों और प्रगतिशील पूंजी संबन्धित व्यय		
(i) बैंक जमा	47,55,303	4,03,133	क) स्थिर आस्तियों की खरीद	52,71,527	88,94,743
(ii) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	ख) प्रगतिशील पूंजी संबंधी व्यय	-	-
V. अन्य आय (आंतरिक संसाधनों के माध्यम से जनित)			V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
आवेदन फीस	5,80,95,672	2,72,77,342	क) भारत सरकार से	-	-
विविध आय	17,112	22,100	ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं से	-	-
VI. उधार ली गई राशि	-	-	VI. वित्त प्रभार(ब्याज)	-	-
VII. अन्य कोई प्राप्तियां			VII. अन्य भुगतान		
प्रतिभूति जमा	5,00,000	10,00,000	क) प्रतिभूति जमा	-	1,62,000
दिवाला व्यावसायिक – अन्य फीस	2,82,500	37,500	ख) टी.डी.एस. भुगतान	1,77,61,872	77,07,921
पूर्ववर्ती वर्ष के प्राप्त अग्रिम	1,14,149	6,600	ग) जी.एस.टी. भुगतान	23,49,620	11,52,094
प्राप्त आउटपुट (उत्पादन) जी.एस.टी.	1,09,21,285	32,69,948	घ) ऋण और अग्रिम	1,39,55,726	20,20,160
शास्ति –सी.एफ.आई.	8,51,000	-			
			VIII. अंतिम अतिशेष		
			क) नकदी	-	49,620
			ख) बैंक अतिशेष	-	-
			i) पी.एन.बी. में चालू और स्वीप खाते में	1,24,42,772	3,88,38,258
			ii) जमा खाते में	8,00,00,000	-
			iii) बचत खाते में	-	-
कुल	**32,14,42,899**	**16,07,10,141**	**कुल**	**32,14,42,899**	**16,07,10,141**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0	हस्त0	हस्त0
डॉ नवरंग सैनी	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	डॉ एम. एस. साहू
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची-I

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

निधि

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष राशि	2,55,65,051	6,52,86,803
अतिरिक्तः निधि मे किया गया अंशदान	20,70,18,000	6,33,00,000
घटा: निधियों का उपयोग (अनुसूची XXIII का नोट सं. 7 देखें)	-18,76,91,497	-10,30,28,109
जमा/(कटौती करें): आय और व्यय खाते से अंतरित आय/(व्यय) का अतिशेष	3,39,55,344	6,357
वर्ष के अंत मे आतिशेष राशि	**7,88,46,898**	**2,55,65,051**

अनुसूची-II

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

आरक्षितियां और अधिशेष

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. अंतिम खाते के अनुसार पूंजी आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गए घटाएँ: वर्ष के दौरान घटाई गयी राशि	-	-
2. अंतिम खाते के अनुसार मूल्यांकन आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गए घटाएँ: वर्ष के दौरान घटाई गयी राशि	-	-
3. अंतिम खाते के अनुसार विशेष आरक्षितियां वर्ष के दौरान जोड़े गए घटाएँ: वर्ष के दौरान घटाई गयी राशि	-	-
4. अंतिम खाते के अनुसार सामान्य आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गए घटाएँ: वर्ष के दौरान घटाई गयी राशि	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0
डॉ नवरंग सैनी
पूर्णकालिक सदस्य,
(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
डॉ एम. एस. साहू
अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची-III
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

चिह्नित/अक्षय निधियां

(राशि रुपये में)

	निधि-वार विवरण				योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) निधियों का प्रारम्भिक अतिशेष	-	-	-	-	-	-
(ख) निधियों में अतिरिक्त राशि जोड़ना						
(i) दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
(ii) निधियों के खाते में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य अतिरिक्त राशियाँ (प्रकर्ति स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	-	-	-	-
(ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति किया गया प्रयोग/व्यय						
(i) पूंजी व्यय						
- स्थिर आस्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
(ii) राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति के दौरान निवल शेष (क+ख-ग)	-	-	-	-	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0	हस्त0	हस्त0
डॉ नवरंग सैनी	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	डॉ एम. एस. साहू
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची-IV

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1, केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
(क) अवधि ऋण	-	-
(ख) अर्जित ब्याज और देय	-	-
3. बैंक	-	-
(क) अवधि ऋण - अर्जित ब्याज और देय	-	-
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें) - अर्जित ब्याज और देय	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5.डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
6. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

अनुसूची-V

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1, केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
3. बैंक	-	-
(क) अवधि ऋण	-	-
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
6. स्थिर जमा	-	-
7. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0
डॉ नवरंग सैनी
पूर्णकालिक सदस्य,
(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
डॉ एम. एस. साहू
अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची-VI

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

आस्थगित प्रत्यय दायित्व

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजी उपकरण और अन्य आस्तियों के मालबंधक (हाईपोथीकेशन) द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियाँ	-	-
2. अन्य		
-आई.पी.-अन्य फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं. 8 देखें)	3,20,000	37,500
कुल	**3,20,000**	**37,500**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि	2,82,500	37,500

अनुसूची-VII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

वर्तमान दायित्व और उपबंध

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
क. वर्तमान दायित्व				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए		-		-
(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.1 देखें)	46,81,092			49,20,739
3. प्राप्त अग्रिम		32,11,120		-
4. प्रोद्भूत ऋण जो शोध्यन हो				
(क) प्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
5. कानूनी दायित्व				
(क) अतिरिक्त		-		-
(ख) अन्य				
सी.पी.एफ. अभिदाय (पी.एन.बी. के पास धारित निधियां – अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.2 देखें)	1,55,16,476		83,34,345	
एन.पी.एस. अभिदाय (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.3 देखें)	8,91,822		-	
देय टी.डी.एस. (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.4 देखें)	30,01,721	1,94,10,019	19,77,189	1,03,11,534
6. अन्य वर्तमान दायित्व				
प्रतिभूति निक्षेप (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.5 देखें)	15,00,000			10,00,000
अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.6 देखें)	46,43,630	61,43,630		
कुल (क)		**3,34,45,861**		**1,62,32,273**
ख. उपबंध				

1. कराधान के लिए		-		-
2. उपदान (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)		7,44,747		-
3. सेवानिवृति/पेंशन				
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए प्रावधान (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.2 देखें)				
- पेंशन मद्दे	9,23,665		2,12,950	
- छुट्टी वेतन अभिदाय मद्दे	14,25,820	23,49,485	2,55,068	4,68,018
4. संचित अवकाश नकदीकरण (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.3 देखें)		17,94,357		-
5. व्यापार वारही / दावा		-		-
6. अन्य				
- विद्युत	1,83,957		1,38,518	
- किराया (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.5 देखें)	99,15,939		98,18,000	
- वेतन (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.6 देखें)	22,87,077		88,69,429	
-बाह्य स्रोतों से संविदा पर स्टाफ	7,22,400		9,11,040	
-व्यावसायिक प्रभार	5,95,610		22,06,251	
-टेलीफोन	1,93,005		16,520	
-दौरा एवं यात्रा	3,96,104		83,855	
-आतिथ्य सत्कार	1,33,367		-	
-लेखापरीक्षण फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.7 देखें)	49,500		71,500	
-परीक्षा व्यय	1,04,79,416		-	
-विविध व्यय	11,43,460	2,60,99,835	-	2,21,15,113
कुल (ख)		**3,0988,424**		**2,25,83,131**
कुल (क+ख)		**6,44,34,285**		**3,88,15,404**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0
डॉ नवरंग सैनी
पूर्णकालिक सदस्य,
(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
डॉ एम. एस. साहू
अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची-VIII [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

स्थिर आस्तियां

(राशि रुपयो में)

	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन				निवल ब्लॉक	
विवरण	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान अतिरिक्त जोड़े गए	वर्ष के दौरान घटाए गए/ समायोजित किए गए	वर्ष के अंत के समय लागत	वर्ष के प्रारंभ के समय	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान घटाए गए/ समायोजित किए गए	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष की समाप्ति तक	पूर्व वर्ष की समाप्ति तक
क.स्थिर आस्तियां										
1.भूमि										
(क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.भवन										
(क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टाधृत भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वामित्व प्राप्त फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) ऐसी भूमि जो इकाई की नही है पर बड़े ढांचे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.संयंत्र मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.यान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.फर्नीचर और फिक्सचर (अनुसूची XXIII का नोट सं. 12.1 देखें)	4,70,691	22,382	-	4,93,073	32,918	48,398	-	81,316	4,11,757	4,37,773
6.कार्यालय उपकरण (अनुसूची XXIII का नोट सं. 12.1 देखें)	19,79,922	20,38,239	-	40,18,161	1,35,798	3,27,849	-	4,63,647	35,54,512	18,44,123
7.कम्प्यूटर/पेरीफेरल (अनुसूची XXIII का नोट सं. 12.1 देखें)	68,55,066	33,56,028	-	1,02,11,094	25,78,131	36,53,343	-	62,31,474	39,79,619	42,76,935
8. ईलेक्ट्रोनिकी इन्स्टालेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
9.पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.ट्यूबवैल और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थिर आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**93,05,679**	**54,16,649**	-	**1,47,22,328**	**27,46,847**	**40,29,590**	-	**67,76,437**	**79,45,888**	**65,58,831**
पूर्व वर्ष का कुल	**18,44,920**	**89,50,184**	**-14,89,425**	**93,05,679**	**9,72,475**	**26,68,028**	**-8,93,656**	**27,46,847**	**65,58,831**	**8,72,445**
ख. प्रगतिशील पूंजी (अनुसूची XXIII का नोट सं. 2 देखें)	46,32,374	-	-	46,32,374	-	-	-	-	46,32,374	46,32,374
कुल	**1,39,38,053**	**54,16,649**	-	**1,93,54,702**	**27,46,847**	**40,29,590**	-	**67,76,437**	**1,25,78,262**	**1,11,91,205**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची-IX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
चिह्नित/अक्षय निधियों से निवेश

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2.अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3.शेयर	-	-
4.डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5.अनुषंगी और संयुक्त उधम	-	-
6.अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-X
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
निवेश-अन्य

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2.अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3.शेयर	-	-
4.डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5.अनुषंगी और संयुक्त उधम	-	-
6.अन्य	-	-
पी.एन.बी. के पास धारित सी.पी.एफ. मद्धे निधियां	1,55,16,476	83,34,345
कुल	**1,55,16,476**	**83,34,345**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0	हस्त0	हस्त0
डॉ नवरंग सैनी	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	डॉ एम. एस. साहू
पूर्णकालिक सदस्य,	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई.
(वित्त एवं लेखा),	आई.बी.बी.आई.	
आई.बी.बी.आई.		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची-XI [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रुपये में)

क	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	वर्तमान आस्तियां:				
	1.ऋण				
	(क) छह मास से अधिक अवधि के लिए देय ऋण (अनुसूची XXIII का नोट सं. 13.1 देखें)		31,53,600		5,54,600
	(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 13.2 देखें)		26,980		42,38,500
	2. वर्तमान नकद अतिशेष (चैक, ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित) (अनुसूची XXIII का नोट सं. 14 देखें)		-		49,620
	3. बैंक अतिशेष				
	(क) अनुसूचित बैंक के साथ				
	पंजाब नैशनल बैंक में अतिशेष (अनुसूची XXIII का नोट सं. 15 देखें)		1,14,27,982		3,67,24,452
	पंजाब और सिंध बैंक में जमा (अनुसूची XXIII का नोट सं. 15 देखें)		8,17,11,513		
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ				
	-चालू खाते में		-		-
	-जमा खाते में		-		-
	-बचत खाते में		-		-
	4. डाकघर – बचत खाता		-		-
	कुल (क)		**9,63,20,075**		**4,15,67,172**
ख	**ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां**				
	1.निम्नलिखित को ऋण				
	(क) स्टाफ		-		-
	(ख) अन्य इकाईयों को जो किसी इकाई के समान किसी कार्यकलाप/उद्देश्य के लिए कार्य करती हो		-		-
	(ग) अन्य(स्पष्ट करें)		-		-
	2.नकद या वस्तु प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में अन्य वापसी योग्य राशि और अग्रिम				
	(क) पूंजी खाते पर	-		-	
	(ख) पूर्व भुगतान (अनुसूची XXIII का नोट सं. 16.1 देखें)	1,59,48,313		22,05,228	
	(ग) अन्य				
	वसूली-योग्य जी.एस.टी.	13,68,954		2,35,605	
	वसूली-योग्य टी.डी.एस.	9,84,344		6,05,229	
	प्रतिभूति निक्षेप	1,72,000		1,72,000	
	वसूली-योग्य विविध	6,77,426		56,240	
	स्टाफ (अनुसूची XXIII का नोट सं. 16.2 देखें)	35,333	1,91,86,370	50,931	33,25,233
	3. अर्जित आय				
	(क) चिह्नित/अक्षय निधियों से किए गए निवेश पर		-		-
	(ख) निवेश- अन्य पर		-		-
	(ग) ऋण और अग्रिमों पर		-		-
	(घ) अन्य		-		-
	4. प्राप्य दावा		-		-
	कुल (ख)		**1,91,86,370**		**33,25,233**
	कुल (क+ख)		**11,55,06,445**		**4,48,92,405**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ

अनुसूची-XII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अनुदान/परिदान

(वापस ना किए जाने वाले अनुदान और परिदान)

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार (अनुसूची XXIII का नोट सं. 7 देखें)	18,76,91,497	10,15,51,546
2. सरकारी अभिकरण	-	-
3, संस्था/कल्याण निकाय	-	-
4. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
5. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	**18,76,91,497**	**10,15,51,546**

अनुसूची-XIII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

शुल्क/अभिदाय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.प्रवेश शुल्क	-	-
2. फाइलिंग शुल्क – आवेदन की फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं. 17.1 देखें)		
-दिवाला पेशेवर	68,40,000	1,68,50,450
-दिवाला पेशेवर एजेंसी	15,00,000	15,00,000
-सूचना उपयोगिताएं	50,00,000	65,00,000
-पंजीक्रत मूल्यांकक	59,95,000	-
-पंजीक्रत मूल्यांकक संगठन	8,00,000	8,00,000
-दिवाला पेशेवर संस्थाएं	5,04,224	-
-परीक्षा शुल्क - सीमित दिवाला परीक्षा	74,54,727	42,38,500
- मूल्यांकन परीक्षा	2,35,86,878	-
3. सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क (अनुसूची XXIII का नोट सं. 17.2 देखें)	5,52,000	5,14,492
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य – भर्ती से आवेदन फीस	80,500	21,67,000
कुल	**5,23,13,329**	**3,25,70,442**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.	हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ

अनुसूची-XIV

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

निवेश से आय

(चिह्नित/अक्षय निधियों में अंतरित होने वाली निधियों में निवेश से आय)

(राशि रुपये में)

	चिह्नित निधियों से निवेश		निवेश -अन्य	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉन्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
कुल				

अनुसूची-XV

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0
डॉ नवरंग सैनी
पूर्णकालिक सदस्य,
(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
डॉ एम. एस. साहू
अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ

अनुसूची-XVI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आवधिक जमा पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ (अनुसूची XXIII का नोट सं. 18 देखें)	68,36,863	4,48,413
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ग) संस्थानों के साथ	-	-
(घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ग) डाकघर बचत खाते	-	-
(घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी/कर्मचारीवृद	-	-
(ख) अन्य	-	-
4. ऋणियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	68,36,863	4,48,413

अनुसूची-XVII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अन्य आय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आस्तियों के विक्रय/निपटान संबंधी पर लाभ		
(क) स्वामित्व प्राप्त आस्तियां	-	-
(ख) अनुदान से प्राप्त आस्तियां या बिना लागत के प्राप्त आस्तियां	-	-
2. विविध सेवायों के लिए शुल्क	10,752	6,410
3. विविध आय	6,360	15,690
कुल	17,112	22,100

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0	हस्त0	हस्त0
डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.	डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख 24.06.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ

अनुसूची-XVIII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

स्थापना व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी	6,81,85,549	5,67,87,398
(ख) भत्ते और बोनस	1,73,75,655	14,10,315
(ग) भविष्य निधि में अंशदान	20,90,861	11,62,283
(घ) अन्य निधि में अंशदान - एन.पी.एस.	11,05,519	-
(ङ) कर्मचारीवृंद कल्याण व्यय	-	-
(च) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी खर्चे	60,69,317	-
(छ) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	9,48,26,901	5,93,59,996

अनुसूची-XIX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) खरीद	-	-
(ख) श्रम और प्रोसेसिंग व्यय	-	-
(ग) गाड़ी भाड़ा और वहन अभियंत्र	-	-
(घ) विद्युत और शक्ति	19,69,282	18,65,411
(ङ) जल प्रभार	9,35,668	-
(च) बीमा	-	-
(छ) मरम्मत और रखरखाव	8,28,658	4,56,791
(ज) किराया, दर और कर	2,48,65,630	3,24,76,323
(झ) चलने वाले वाहन, रखरखाव या किराया प्रभार	27,64,757	10,43,632
(ञ) डाकखर्च, टेलीफोन और संपर्क प्रभार	17,43,372	8,24,166
(ट) मुद्रण और स्टेशनरी	22,89,874	20,69,396
(ठ) यात्रा और परिवहन व्यय (अनुसूची XXIII का नोट सं. 6.2 देखें)	82,85,344	99,26,083
(ड) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय	20,71,119	7,20,847
(ढ) अंशदान व्यय	2,77,825	10,14,192
(ण) शुल्क संबंधी व्यय	11,98,213	10,74,536
(त) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/कानूनी शुल्क	1,10,000	71,500
(थ) आतिथित्य सत्कार व्यय	18,97,572	13,98,950
(द) व्यावसायिक प्रभार	2,65,74,081	50,35,281
(ध) गलत और संदेहास्पद ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
(न) वापस न होने वाले समाप्त शेष	-	-
(प) पैकिंग प्रभार	-	-
(फ) माल भाड़ा और अग्रेषण व्यय	-	-
(ब) वितरण व्यय	-	-
(भ) विज्ञापन और प्रचार व्यय	-	-
(म) अन्य		
- बाह्य स्रोतों से संविदा पर रखे गए स्टाफ को भुगतान	1,49,62,151	1,32,23,609
- सलाहकार समिति और बोर्ड की बैठकों पर व्यय	6,60,447	3,90,287
- पुस्तकें और पत्रिकाएँ	1,82,448	1,18,883
- प्रकाशन व्यय	6,38,000	16,39,000
- परीक्षा प्रशासक शुल्क	2,11,82,370	-
- विविध व्यय	6,10,155	1,02,889
कुल	11,40,46,966	7,34,51,776

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ

अनुसूची-XX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
अनुदान, परिदान आदि संबंधी व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गयी सहायता राशि	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-XXI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
ब्याज

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) स्थिर ऋणों पर	-	-
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0	हस्त0	हस्त0
डॉ नवरंग सैनी	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	डॉ एम. एस. साहू
पूर्णकालिक सदस्य,	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष,आई.बी.बी.आई.
(वित्त एवं लेखा),	आई.बी.बी.आई.	
आई.बी.बी.आई.		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

अनुसूची XXII
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) की धारा 223(1) में बोर्ड से समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करने की अपेक्षा की गई है । केन्द्रीय सरकार ने 1 मई, 2018 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 अधिसूचित किए ।

1. लेखांकन व्यवहार

1.1 वित्तीय विवरणियां प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन, जब तक अन्यथा कथित न हो, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मापदंडों और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार तैयार की जाती हैं ।

2. निवेश

2.1 "दीर्घावधि निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों की लागत का वहन करने में, अस्थायी के अलावा अस्वीकार करने का उपाबंध है ।

2.2 "वर्तमान" के रूप मे वर्गीकृत निवेश निचली लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है क्योंकि प्रत्येक निवेश को वैश्विक आधार पर तैयार न करके व्यैक्तिक आधार पर समझा जाता है ।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप सम्मिलित हैं ।

3. स्थिर आस्तियां

3.1 स्थिर आस्तियों को वास्तविक मूल्य से अवमूल्यन को कम करके तथा यदि कोई हानि हो तो प्रावधान किया जाता है । लागत में अधिग्रहण खर्च तथा निर्माण/संस्थापक तथा अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होते हैं जो संपत्ति को उसके आशयतन उपयोग हेतु कार्य करने की हालत में लाने के लिए आवश्यक हैं ।

4. अवमूल्यन

4.1 आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवमूल्यन सीधी रेखा पद्धति, केवल स्थिर आस्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देयता के परिवर्तन के कारण उठने वाले लागत समझौता संबंधी अवमूल्यन, जिसे संबंधित आस्तियों के अवशिष्ट समय में परिशोधित किया जाता हे के अलावा, पर किया जाता है ।

4.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में जोड़ना/घटाना के संबंध में, समानुपातिक आधार पर अवमूल्यन किया जाता है ।

4.3 5,000/- रुपए या उससे कम राशि वाली आस्तियों का उनके अधिग्रहण वर्ष में संपूर्ण सरंक्षण किया जाता है ।

5. विविध व्यय

5.1 आस्थगित राजस्व व्यय को अर्जित करने के वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाता है ।

6. विक्रय संबंधी लेखांकन

6.1 विक्रय में सीमा शुल्क सम्मिलित है और विक्रय विवरणी, छूट और व्यापार छूट का निवल होता है ।

7. सरकारी अनुदान/परिदान

7.1. किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में दिये गए अंशदान की प्रकृति वाले सरकारी अनुदानों को पूंजी आरक्षण के रूप में समझा जाता है ।

7.2. अधिग्रहण किए गए विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों संबंधी आस्तियों के लागत से घटाए जाने के रूप में दर्शाया जाता है ।

7.3. सरकारी अनुदानों को वसूली के रूप में तथा उपयोग प्रोदभूत आधार पर लेखांकित किया जाता है ।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

8.1. विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख में दिये गए विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है ।

8.2. वर्तमान आस्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देयताओं को वर्ष के अंत में दिये गए विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप यदि स्थिर आस्तियों और, अन्य मामलों में संबंधित विदेशी मुद्रा देयता को राजस्व के रूप में विचार किया जाता है तो लाभ/हानि को स्थिर आस्तियों के लागत में समायोजित किया जाता है ।

9. पट्टा

पट्टा किराया को पट्टा अवधि के संदर्भ में व्यय किया जाता है ।

10. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

10.1 कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय देय ग्रैचुइटी संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर जोड़ा जाता है ।

10.2. कर्मचारी के संग्रहीत अवकाश नकदीकरण लाभ संबंधी उपबंध को यह मानकर जोड़ा और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष की समाप्ती पर लाभ प्राप्त करने के हकदार है ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0
डॉ नवरंग सैनी
पूर्णकालिक सदस्य,
(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

हस्त0
डॉ एम. एस. साहू
अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

अनुसूची-XXIII

अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां

अनिश्चित दायित्व

1.1 इकाई के विरुद्ध दावों को जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – शून्य रुपए ।
(पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

1.2 निम्नलिखित के संबंध में

- इकाई द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी – शून्य रुपए ।
  (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

- इकाई की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र – शून्य रुपए ।
  (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

- बैंकों के साथ बिल में छूट – शून्य रूपए ।

  (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादस्पद मागें

आयकर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।
जी.एस.टी. – शून्य रुपए (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।
नगर निगम कर – शून्य रुपए (पूर्व वर्ष – शून्य रूपए) ।

1.4 पक्षों से आदेशों के गैर-निष्पादन हेतु दावों, परंतु इकाई द्वारा विरोध किए जाने के कारण किए गए दावों के संबंध – शून्य रूपए (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

चालू पूंजीगत कार्य में एन.बी.सी.सी. को मार्च, 2019 के अंत तक फर्नीचर और फिक्सचर/मयूर भवन परिसर के नवीकरण हेतु 46,32,374/- रुपए की देय राशि सम्मिलित है । इस राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान में से किया गया था । (पूर्व वर्ष - 46,32,374/- रुपए) ।

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के वित्तीय पट्टा व्यवस्था के अधीन दिये गए किरायों के संबंध में भविष्य की बाध्यताएँ की राशि शून्य रुपए है । (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधकों की राय में, वर्तमान आस्तियों, उधारों और अग्रिमों का मूल्य व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में वसूली करने पर कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल राशि के समान है ।

5. कराधान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 1 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 422(ई) द्वारा बोर्ड की अधिसूचित लेखांकन नीति की अनुसूची XXIII के पैरा 5 को ध्यान में रखते हुए, जो निम्न प्रकार पठित है "आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कराधेय आय न होने के कारण, आयकर के लिए कोई उपाबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 38/2018 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46 के अधीन छूट का उपाबंध किया है । (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

6.1 सी.आई.एफ. के आधार संगणित आयातों का मूल्य: लागू नहीं होता है ।

- तैयार मालों का क्रय
- कच्चा माल और संघटक (ट्रांजिट सहित)
- पूंजी माल
- भंडार, अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुएँ

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

(i) यात्रा – (चालू वर्ष -27,99,705/- रुपए) (पूर्व वर्ष – 41,26,245/- रुपए) ।

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में लंदन, न्यूयार्क, बैंकाक और मौरिशियस के लिए अध्ययन दौरे आयोजित किए थे । अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के सदस्यों के लिए यात्रा और अन्य प्रबंध संबंधित भारतीय उच्चायोग द्वारा किए गए थे । विदेश मंत्रालय सामन्यत: उपगत किए गए ऐसे व्यय के लिए संबद्ध मंत्रालय और संगठन को बिल जारी करता है । बोर्ड द्वारा लदन और न्यूयार्क दौरों के बिल अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और इस लिए उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है । विदेश मंत्रालय से बिल प्राप्त होने पर उनका विधिवत रूप से लेखांकन और भुगतान किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित 15,63,773/- रुपए की राशि के बिल प्राप्त हो गए हैं और उनका विधिवत रूप से भुगतान कर दिया गया है ।

(ii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किए गए विप्रेषण और ब्याज का भुगतान: (चालू वर्ष – शून्य रूपए)(पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

(iii) अन्य व्यय (चालू वर्ष – अंतराष्ट्रीय दिवाला विनियामक संघ को भुगतान की गई सदस्यता फीस – 1,63,213/- रुपए (पूर्व वर्ष – 48,392/-) ।

(iv) विक्रय पर कमीशन (चालू वर्ष – शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष – शून्य रुपए) ।

(v) विधिक और व्यावसायिक व्यय (चालू वर्ष – शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

(vi) विविध व्यय (चालू वर्ष – शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

6.3 विदेशी मुद्रा में उपार्जन: (चालू वर्ष – शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

6 क. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखापरीक्षकों के रूप में:

- कराधान संबंधी मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए
- अन्य – आंतरिक लेखापरीक्षा (चालू वर्ष – 1,10,000/-रुपए)(पूर्व वर्ष – 71,500/- रुपए) ।

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों का लेखांकन आई.सी.ए.आई. के लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-12 (अब आई.ए.एस. 20) के अनुसार किया गया है । ए.एस. 20 में यह उपबंध है, कि राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरणी में उन अवधियों के लिए क्रमबद्ध आधार पर माना जाना चाहिए, जो संबंधित लागत से, जो उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए आशयित हैं, उनका मिलान करने के लिए आवश्यक है ।

"बोर्ड की निधि का गठन संहिता की धारा 222 के उपबंधों के अनुसार किया गया है, जो कि निम्नलिखित रूप में है:

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा —

(क) बोर्ड द्वारा इस संहिता के अधीन प्राप्त किए गए सभी अनुदान, फीस और प्रभार;

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) ऐसी अन्य निधियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा –

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 196 के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाएं ।"

निधि (सहायता अनुदान और आंतरिक प्राप्तियां) की स्थिति और बोर्ड द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान उनका उपयोग (सहायता अनुदानों और आंतरिक प्राप्तियों में से) तथा 31 मार्च, 2019 को यथा-विद्यमान सहायता अनुदानों का खर्च न किया गया अतिशेष, पूर्व वर्ष के आंकड़ों सहित निम्नलिखित रूप में है:

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष	2017-18				2018-19				
	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	उपयोगिता	खर्च न किया गया अतिशेष	प्राप्तियां	उपयोगिता	स्थिर आस्तियां	अग्रिम	खर्च न किया गया अतिशेष
	1	2	3	4= (1+2-3)	5	6	7	8	9=4+5-(6+7+8)
अनुदान सहायता (सामान्य)	157.23	333.00	490.23	-	1,107.00	928.64	54.17	139.56	-15.37*
अनुदान सहायता (वेतन)	208.01	300.00	508.01	-	963.18	948.27	-	0.01	14.90*
अनुदान सहायता (पूंजी)	189.77	-	66.23	123.54	-	-	-	-	123.54
पूर्ण योग (क)	**555.01**	**633.00**	**1,064.47**	**123.54**	**2,070.18**	**1,876.91**	**54.17**	**139.57**	**123.07**
आंतरिक रूप से जनित राजस्व	89.73	330.41	420.14	-	551.83	211.82	-	-	340.01*
सकल योग (क+ख)	**644.74**	**963.41**	**1,484.61**	**123.54**	**2,622.01**	**2,088.73**	**54.17**	**139.57**	**463.08**

* अनुदान सहायता (सामान्य) के अधीन निधियों की कमी (15.37 लाख रुपए) को अनुदान सहायता (वेतन) के अधीन अधिशेष (14.90 लाख रुपए) में से पूरा किया गया है और शेष कमी को आंतरिक रूप से जनित राजस्व (0.47 लाख रुपए) में से वित्तपोषित किया गया है । बोर्ड ने, अनुदान सहायता (सामान्य) के अधीन अति व्यय को अनुदान सहायता (वेतन) से पूरा करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय से नियमितीकरण की निवेदना की है ।

8. आस्थगित प्रत्यय दायित्व

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 में सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायत और परिवाद फाइल करने का उपबंध है, जिसके विनियम 7 के उप-विनियम (8) में इस प्रकार उपबंध किया गया है *"जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा"* । ऐसे परिवादों के संबंध में, जो प्रक्रियाधीन हैं, प्राप्त 3,20,00/- रुपए की राशि को अनुसूची VI "आस्थगित प्रत्यय दायित्व" के अधीन दायित्व के रूप में रखा गया है (पूर्व वर्ष – 37,500/- रुपए)

9. दीर्घावधि निवेश

बोर्ड द्वारा 1,55,16,476/- रुपए की राशि के अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) दायित्व (ब्याज सहित) का पंजाब नेशनल बैंक के पास तीन वर्ष की कालावधि के लिए नियत और आवर्ती निक्षेपों में निवेश किया गया है । (पूर्व वर्ष - 83,34,345/- रुपए (ब्याज सहित) ।

10. वर्तमान दायित्व

10.1 विविध लेनदारों के अंतर्गत हैं (i) चालू पूंजीगत कार्य के लिए 46,32,374/- रुपए, जो एन.बी.सी.सी. को देय हैं और (ii) विक्रेताओं मद्दे दायित्वों के रूप में, जो कि नियमित प्रकृति के हैं, 48,718/- रुपए (पूर्व वर्ष – विविध लेनदारों के लिए 49,20,739/- रुपए, जिसमें से 2,79,379/- रुपए का चालू वित्तीय वर्ष में विधिवत रूप से भुगतान कर दिया गया है) ।

10.2 सी.पी.एफ. मद्दे अभिदाय की 1,55,16,476/- रुपए की राशि (ब्याज सहित) पंजाब नेशनल बैंक के पास नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है और मासिक अभिदाय को आवर्ती निक्षेप में अंतरित कर दिया गया है (पूर्व वर्ष – सी.पी.एफ. अभिदाय (ब्याज सहित) 83,34,345/- रुपए था) ।

10.3. राशि 8,91,822/- का एन.पी.एस. अभिदाय 31 मार्च, 2019 को यथा-विद्यमान कर्मचारियों के अपने-अपने एन. पी.एस. खातों में प्रेषित किए जाने के लिए लंबित अतिशेष के संबंध में है ।(पूर्व वर्ष – शून्य) ।

10.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्रोत पर काटे गए कर(टी.डी.एस.) के 30,01,721/- रुपए के देयों को आयकर और जी.एस.टी. प्राधिकारियों के पास विधिवत रूप से जमा करा दिया गया है । (पूर्व वर्ष – 19,77,189/- रुपए के टी.डी.एस. देयों का भुगतान किया गया था) ।

10.5. 15,00,000/- रुपए की राशि परीक्षा प्रशासकों से सीमित दिवाला और मूल्यांकन परीक्षा का संचालन करने के लिए प्रतिभूति निक्षेप (प्रतिदेय - ई.एम.डी.) के रूप में प्राप्त की गई है । (पूर्व वर्ष -10,00,000/- रुपए) ।

10.6. अन्य वर्तमान दायित्व – अन्य के अंतर्गत हैं (i) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के अनुसार अधिरोपित शास्ति के लिए दिवाला व्यावसायिकों से प्राप्त राशि के रूप में 8,51,000/- रुपए । इस विषय को पत्र सं. आई.बी.बी.आई./एफ. एंड ए./बजट/48/2019/4118 द्वारा डी.डी.ओ. कोड सृजित करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय में उठाया गया है जिससे कि शास्ति की रकम को केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में प्रेषित किया जा सके । (पूर्व वर्ष – शून्य); (ii) 37,30,330/- रुपए का संबंध उन अधिकारियों के, जो प्रतिनियुक्ति/अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, मूल संगठनों को किए जाने वाले वेतन से संबंधित प्रेषणों से हैं । (पूर्व वर्ष – 54,54,342/- रुपए); और (iii) 62,300/- रुपए पंजीकृत मूल्यांकक के लिए आवेदकों को देय प्रतिदायो और परीक्षा पंजीकरण के लिए है । (पूर्व वर्ष – शून्य) ।

11. प्रावधान

11.1 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रेड-ए के अधिकारियों के लिए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर 5,23,082/- रुपए का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए उनके मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार 2,21,665/- रुपए का प्रावधान किया गया है । (पूर्व वर्ष – शून्य) ।

11.2 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के नियमों के अनुसार या मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों हेतु छुट्टी वेतन अंशदान के लिए 3,89,840/- रुपए की राशि और पेंशन के लिए 9,23,665/- रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है । बोर्ड ने उन अधिकारियों के लिए, जो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन के रूप में 10,35,980/- रुपए का प्रावधान भी किया है ।(पूर्व वर्ष -4,68,018/- रुपए) ।

11.3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2016 के नियम 16 के अनुसरण में, जिसमें यह उपबंध है कि *"छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा । अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी भी समय उनके पास जमा अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत का भुगतान करवाने के हकदार होंगे।"*, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के लिए 10,18,334/- रुपए का और अन्य अधिकारियों के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017 के अनुसार 7,76,023/- रुपए का छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान किया गया है ।(पूर्व वर्ष – शून्य) ।

11.4 बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

11.5 किराए के प्रावधान के अंतर्गत जीवन विहार भवन के दूसरे तल पर कार्यालय स्थान के लिए 98,18,000/- रुपए और कार पार्किंग के लिए 97,939 रुपए की राशि शामिल हैं । कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पत्र सं. I-11012/01/2016-इन्फ्रा. दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के अनुसरण में , जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि बोर्ड द्वारा अधिकृत किए जा रहे जीवन विहार भवन के दूसरे तल पर कार्यालय स्थान के लिए किराए का भुगतान आई.बी.बी.आई. द्वारा किया जाएगा, 15 नवम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए 98,18,000/- रुपए का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 में हुए आंतरिक प्रोद्भवनों में से किया गया था । बोर्ड ने दिनांक 23 जुलाई, 2018 के पत्र सं. आई.बी.बी.आई./स्थापना/जीवन विहार/75/1109 द्वारा मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीवन विहार भवन पर कार्यालय स्थान के लिए देयों का भुगतान करते रहने और उसे बोर्ड के अनुदानों मे से समायोजित करने का अनुरोध किया है ।

11.6 प्रतिनियुक्ति/अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए उनके मूल संगठनों को देय राशि 22,87,077/- रुपए के बकाया वेतन और भत्तों के लिए प्रावधन किया गया है । (पूर्व वर्ष -88,69,429/- रुपए)

11.7 चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर, 2018 से मार्च, 2019 तक छह मास की अवधि के लिए बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अखिल भारतीय लेखापरीक्षक और लेखाकार परिषद् को देय राशि 49,500/- रुपए की लेखापरीक्षा फीस (टी.डी.एस. कटौती के बाद) का प्रावधान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए संदत्त की गई कुल फीस 1,10,000/- रुपए है । (पूर्व वर्ष -71,500/- रुपए)

12. अवमूल्यन

12.1 अवमूल्यन के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन मैथड के आधार पर निम्न प्रकार उपबंध किया जाता है:

आस्तियां	अवमूल्यन की दर
कम्प्यूटर/पेरिफेरल/साफ्टवेयर/हार्डवेयर	40%
कार्यालय उपकरण तथा फर्नीचर और फिक्सचर	10%

12.2 पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय माना जाता है और उन्हें आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है ।

13. वर्तमान आस्तियां – ऋणी

13.1 संहिता की धारा 196 के अधीन, बोर्ड या तो स्वयं या किसी अभिहित अभिकरण के माध्यम से सीमित दिवाला परीक्षा का संचालन ऐसी रीति में और ऐसे अंतराल पर करेगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए । बोर्ड ने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.), मुम्बई को 31 दिसम्बर, 2016 से परीक्षा का संचालन करने के लिए प्राधिकृत किया था । इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 30 अगस्त, 2017 को प्रत्येक आवेदक के नामांकन के लिए परीक्षा फीस को 1,000/- रुपए से बढ़ाकर 1,500/- रुपए करने का निश्चय किया था और एन.आई.एस.एम. 1 सितम्बर, 2017 से आई.बी.बी.आई. को प्रति नामांकन 500/- रुपए की प्रतिपूर्ति करेगा । बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में क्रमशः 42,38,500/- रुपए और 14,95,500/- रुपए की आय प्रोद्भूत हुई है । 31,53,600/- रुपए के विविध लेनदार एन.आई.एस.एम. से बकाया वसूली-योग्य राशि से संबंधित हैं । (पूर्व वर्ष – 42,38,500/- रुपए) ।

13.2 26,980/- रुपए के ऋण – "अन्य" का संबंध दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और पंजीकृत मूल्यांककों से प्राप्य फीस से है । (पूर्व वर्ष -5,54,600/- रुपए) ।

14. बोर्ड ने खुदरा नकद की अग्रदाय व्यवस्था बनाई हुई है जिसकी अनुमोदित सीमा 50,000/- रुपए है ।

15. बैंक खातों में रखे अतिशेष

पंजाब नेशनल बैंक में रखे अतिशेष में निम्नलिखित राशियाँ शामिल हैं:

चालू खाते में – 5,98,856.63/- रुपए (-) (पूर्व वर्ष – 3,11,742/- रुपए (-) ।

चालू खाता (अनुदान) में – 1,06,26,839.07/- रुपए (+) (पूर्व वर्ष – शून्य) ।

स्वीप खाते मे – 14,00,000/- रुपए (नेट) (पूर्व वर्ष – 2,83,36,194/- रुपए) ।

(सी.पी.एफ. के लंबित अंतरण के लिए आवंटित 10,14,790/- रुपए)(पूर्व वर्ष 21,13,806/- रुपए)।

आवधिक जमा खाते में – 8,17,11,513/- रुपए (पूर्व वर्ष – 87,00,000/- रुपए) ।

16.1 पूर्व-भुगताए व्ययों के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

क) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा को ई-आफिस कार्यान्वयन के लिए 53,42,430/- रुपए का भुगतान किया गया है । (पूर्व वर्ष 20,20,160/- रुपए) ।

ख) शासी निकाय ने 27 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान में तीन वर्ष की अवधि के लिए आई.बी.बी.आई. दिवाला पीठ स्थापित करने का निश्चय किया है जिसके लिए एक ही बार एक करोड़ रुपए का अक्षय अनुदान है । एक करोड़ रुपए की राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अग्रिम शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है और उसका वित्तीय वर्ष 2019-20 से आगे तीन वर्ष की अवधि में क्रमिक अपाकरण होगा ।(पूर्व वर्ष – शून्य) ।

16.2 35,333/- रुपए के स्टाफ अग्रिमों का संबंध अगले वित्तीय वर्ष में के बिलों के विरुद्ध विधिवत रूप से समायोजित यात्रा भत्ता अग्रिमों से है । (पूर्व वर्ष – 50,931/- रुपए) ।

17.1 फीस/अभिदान (अनुसूची XIII) के अंतर्गत नीचे दिए गए स्रोतों से प्राप्त फीस शामिल है:

क) दिवाला व्यावसायिक: संहिता की धारा 196(1)(ग) में उपबंधित है कि बोर्ड **"इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है"** ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 6 के उप-विनियम (1) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप क में दस हजार रुपए के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखांकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष – 68,40,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- 1,68,50,450/- रुपए) ।

ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी: संहिता की धारा 196(1)(ग) में उपबंधित है कि बोर्ड **"इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है"** ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 के विनियम 4 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) एक कंपनी जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दस लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है ।

(2) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसे विनियम 5 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के छह महीने पहले इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क पांच लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है ।"

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) में यह उपबंध किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी –

"(क) ....

(ख) .....

(ग) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष पांच लाख रुपए का शुल्क अदा करेगी, उस वर्ष के बाद जिसमें प्रमाणपत्र जारी किया या नवीनीकृत किया गया था ।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखांकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । वार्षिक फीस को दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को माना जाता है । चालू वर्ष – 15,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष -15,00,000/- रुपए) ।

ग) सूचना उपयोगिताएं: संहिता की धारा 196(1)(ग) में उपबंधित है कि बोर्ड **"इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है"** ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 के विनियम 4 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) सूचना उपयोगिता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई व्यक्ति पांच लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करवाने की इच्छुक कोई सूचना उपयोगिता अपना रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने से कम से कम छह मास पहले पांच लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को नवीकरण के लिए आवेदन करेगी ।"

विनियमों के विनियम 6 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इन शर्तों के अधीन होगा कि सूचना उपयोगिता –

(क)...............

(ख)...............

(ग).............

(घ) बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण, जो भी लागू हो, की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, बोर्ड को पचास लाख रुपए की फीस का भुगतान करेगी;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो, प्रदान किए जाने की तारीख से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर पन्द्रह दिनों के भीतर, बोर्ड को पचास लाख रुपए की वार्षिक फीस का भुगतान करेगी ।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखांकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । वार्षिक फीस को सूचना उपयोगिताओं से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को माना जाता है । चालू वर्ष – 50,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 65,00,000/- रुपए) ।

घ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक: केन्द्रीय सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस. ओ. 3401(ई), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 247 के अधीन उसमें विहित शक्तियों और कृत्यों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को प्रत्यायोजित किया है ।

इसके अलावा, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 6 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में पांच हजार रुपए के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क सहित अनुलग्नक-II के प्ररूप क में आवेदन कर सकता है ।

(2) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र भागीदार फ़र्म या कंपनी प्राधिकरण के पक्ष में दस हजार रुपए के अप्रतिदेय योग्य आवेदन शुल्क सहित अनुलग्नक-II के प्ररूप ख में आवेदन कर सकती है ।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखांकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष – 59,95,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- शून्य) ।

ङ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन: कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 13 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

> *"(1) कोई पात्र संगठन, जो नियम 12 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुलग्नक-II के प्ररूप-घ में प्राधिकरण के पक्ष में एक लाख रुपए का अप्रतिदेय योग्य भुगतान आवेदन शुल्क देकर आवेदन कर सकता है ।"*

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखांकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष – 8,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष, 8,00,000/- रुपए) ।

च) दिवाला व्यावसायिक संस्था : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

> *"उप-विनियम (1) के अधीन पात्र कोई व्यक्ति बोर्ड की किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में आवेदन कर सकता है ।"*

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखांकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष – 4,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य) ।

विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

> *"यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था –*
>
> *(क) हमेशा विनियम (12) के अधीन अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी;*
> *(ख) यदि कोई व्यक्ति इसका निदेशक या भागीदार नहीं रहता है, जैसी स्थिति हो, तो सात दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप-च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगा;*
> *(ग) यदि कोई व्यक्ति इसका निदेशक या भागीदार, जैसी स्थिति हो, के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सात दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप-च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगा ।"*

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 5 के अधीन अनुपालन के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । इस फीस को दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं से प्ररूप-च में प्राप्त सूचना के आधार पर माना जाता है । चालू वर्ष - 1,04,224/- रुपए (पूर्व वर्ष – शून्य) ।

छ) परीक्षा फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 3 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

> *"यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान के विनियोग की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से एक 'सीमित दिवाला परीक्षा' आयोजित करेगा ।"*

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड सीमित दिवाला परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.एस.ई.-आई.टी. को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है । परीक्षा के

लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है चूंकि यह राशि अप्रतिदेय है । चालू वर्ष-74,54,727/- रुपए (पूर्व वर्ष – 42,38,500/- रुपए) ।

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 5 के उप-नियम (1) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

> *"प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो नियम 4 में यथा-विनिर्दिष्ट अर्हता या अनुभव रखते हैं और किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के सदस्य के रूप में अपना शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, एक या अधिक आस्ति वर्गों के लिए उनके मूल्यांकन संबंधी वृतिक ज्ञान, कौशल, मूल्य और नैतिक जांच या तो स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करेगा ।"*

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड मूल्यांकन परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए बी.एस.ई. लिमिटेड को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है । परीक्षा के लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है चूंकि यह राशि अप्रतिदेय है । चालू वर्ष – 2,35,86,878/- रुपए । (पूर्व वर्ष – शून्य) । इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन परीक्षा के लिए परीक्षा प्रशासक को 1 अप्रैल, 2019 से बी.एस.ई. लिमिटेड से बदलकर एन.आई.एस.एम. कर दिया गया है । तदनुसार, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए बी.एस.ई. लिमिटेड के पास जमा कराई गई 9,57,203/- रुपए (जी.एस.टी. कटौती के बाद) की राशि प्रतिदेय हो गई है । इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में परीक्षा फीस में से इसके प्रावधान का सृजन किया गया है । (पूर्व वर्ष –शून्य) ।

17.2 सेमीनार/कार्यक्रम फीस: संहिता की धारा 196(1)(कक) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड **"इस संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने मे दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं तथा अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास का संवर्धन करेगा तथा उनका विनियमन करेगा ।"**

इसके अलावा, धारा 196(1)(ग) बोर्ड को इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस या अन्य प्रभार उद्ग्रहण करने के लिए सशक्त करती है, जिसके अंतर्गत दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है ।

बोर्ड, दिवाला व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार की गई फीस 5,52,000/- रुपए है (पूर्व वर्ष -5,14,492/- रुपए) ।

17.3 शिकायत और परिवाद फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

> *"ऐसा हितधारी, जो कोई परिवाद फाइल करना चाहता है, उसे बोर्ड के समक्ष प्ररूप-क में फाइल करेगा और उसके साथ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय दो हजार पांच सौ रुपए का मांगदेय ड्राफ्ट या बोर्ड के खाते में फीस मद्धे दो हजार पांच सौ रुपए की आनलाइन अभिस्वीकृति लगाई जाएगी ।"*

इसके अतिरिक्त, विनियमों के विनियम 7 के उपविनियम (8) में यह उपबंध है कि *"जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा ।"* प्राप्त की गई फीस आस्थगित प्रत्यय दायित्व शीर्ष के अधीन दर्शाई जाती है और इसे आय माना जाता है यदि बोर्ड द्वारा शिकायत/परिवाद को तुच्छ पाया जाता है ।

18. अर्जित ब्याज: चालू वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के अंतर्गत ये हैं – (i) पंजाब नेशनल बैंक में स्वीप सुविधा वाले चालू खाते में अर्जित ब्याज – 24,68,931/- रुपए; (ii) पूर्व वर्ष का ब्याज, जो चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त और लेखांकित किया गया है – 26,56,419/- रुपए; और (iii) आवधिक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज – 17,11,513/- रुपए । 68,36,863/- रुपए

के कुल अर्जित ब्याज में से सहायता अनुदानों से अर्जित ब्याज 39,84,367/- रुपए है और शेष 28,52,496/- रुपए आंतरिक प्रोद्भवनों पर अर्जित ब्याज से संबंधित है । (पूर्व वर्ष - 4,48,413/- रुपए) ।

19. वित्तीय विवरणियों को भारतीय जी.ए.ए.पी. के अनुरूप तैयार करने के लिए बोर्ड से ऐसे प्राक्कलन और ऐसी उपधारणाएं करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणियों में आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करते हैं । यद्यपि यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयोग में लाए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं तथापि वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं । वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच जो अंतर है उसे उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/फलीभूत होते हैं, सुसंगत लेखा शीर्ष में आय/व्यय के रूप में माना जाना है ।

20. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः एकत्रित/व्यवस्थित किया गया है ।

21. अनुसूची I से अनुसूची XXIII उपाबद्ध की जाती हैं और वे 31 मार्च, 2019 को यथा-विद्यमान तुलनपत्र और उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का अभिन्न भाग गठित करती हैं ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0	हस्त0	हस्त0
डॉ नवरंग सैनी	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	डॉ एम. एस. साहू
पूर्णकालिक सदस्य,	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.
(वित्त एवं लेखा),	आई.बी.बी.आई.	
आई.बी.बी.आई.		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 24.06.2019

लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

क. मुख्य रिपोर्ट		
क्रम सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उत्तर
4(iv)(क)	**क. आय और व्यय लेखा** **आय** **अर्जित ब्याज (अनुसूची XVI)- 68.37 लाख रुपए** उपरोक्त के अंतर्गत वर्ष के दौरान सहायता अनुदानों पर अर्जित ब्याज 39.84 लाख रुपए शामिल हैं । तथापि, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, किसी अनुदानग्राही संस्था को सहायता अनुदानों या अग्रिमों (प्रतिपूर्ति से भिन्न) से प्राप्त सभी ब्याज या अन्य उपार्जन लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत पश्चात् अनिवार्य रूप से भारत की समेकित निधि में प्रेषित करना चाहिए । इस प्रकार, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अननुपालन के परिणामस्वरूप 39.84 लाख रुपए तक की आय अधिक दर्शाई गई है और वर्तमान दायित्व इतनी मात्रा में कम दर्शाए गए हैं और फलस्वरूप उसी सीमा तक अधिशेष अधिक दर्शाया गया है ।	बोर्ड ने दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को सहायता अनुदानों पर ब्याज की राशि को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रतिप्रेषित कर दिया है ।
4(iv)(ख)	**ख. अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां (अनुसूची XXIII)** **पूंजीगत प्रतिबद्धता** उपरोक्त के अंतर्गत आई.बी.बी.आई. के लिए वैब-पोर्टल के डिज़ाइन और विकास के लिए एन.आई.सी.एस.आई. को 61.44 लाख रुपए के बकाया भुगतान मंद्धे पूंजी प्रतिबद्धता राशि शामिल नहीं है । आई.बी.बी.आई. ने करार के अनुसार 25 प्रतिशत राशि 20.48 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान जारी किया है और बकाया राशि तीन किस्तो में दी जानी थी । चूंकि 61.44 लाख रुपए का बकाया भुगतान 31 मार्च, 2019 तक नहीं किया गया है इसलिए इसे पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के अधीन दर्शाया जाना चाहिए था । इस प्रकार, इसके अननुपालन के कारण पूंजीगत प्रतिबद्धता नोट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है ।	कुल कार्य का 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाने पर बोर्ड द्वारा लेखा टिप्पणों में पूंजीगत प्रतिबद्धता शीर्ष के अधीन समुचित प्रकटन कर दिया जाएगा ।

ख. लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक		
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** आई.बी.बी.आई. में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा खंड नहीं है । वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा बाहरी एजेंसी द्वारा कराई गई थी ।	-
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** आई.बी.बी.आई. में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संगठन के आकार के अनुरूप है ।	-
3.	**स्थिर आस्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति** आई.बी.बी.आई. में वर्ष 2018-19 के दौरान स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।	-
4.	**वस्तु-सूची के भौतिक सत्यापन की पद्धति** आई.बी.बी.आई की बहियों में 31 मार्च, 2019 को यथा-विद्यमान कोई वस्तु-सूची नहीं है ।	-
5.	**कानूनी देयों का भुगतान करने में नियमितता** आई.बी.बी.आई. कानूनी देयों का भुगतान साधारणतया नियमित रुप से करता है ।	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

7वीं मंजिल, मयूर भवन
शंकर मार्किट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110 001